न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2018 (201/2020)

1. रामरतन पुत्र गणेश उम्र 62 साल
2. रामकिशन पुत्र गणेश उम्र 51 साल
3. रामनारायण पुत्र गणेश उम्र 48 साल
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश उम्र 45 साल

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम भारला तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रामकरण
2. नारायण पुत्र रामकरण
3. सुमित्रा पत्नि स्व. तेजूराम
4. हनुमान पुत्र स्व. तेजूराम
5. सन्तोष पुत्री स्व. तेजूराम
6. जीतराम पुत्र स्व. तेजूराम संरक्षक माता सुमित्रा
7. मुकेश पुत्र स्व. तेजूराम संरक्षक माता सुमित्रा
8. श्योजी पुत्र भूरा
9. रघुनाथ पुत्र भूरा

सर्व जाति जाट निवासी ग्राम भारला तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

10. हगामी पुत्र भूरा पत्नी खेमाराम जाट निवासी सान्दोलिया
11. मनफूल पुत्री भूरा पत्नी स्व. परसाराम
12. जतनी पुत्री भूरा पत्नी स्व. लालाराम
13. रामधन पुत्र रामचन्द्र
14. हरिकिशन पुत्र रामचन्द्र
15. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र

सर्व जाति जाट निवासी ग्राम भारला तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

16. भू– धारी तहसीलदार , तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally Signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 07.06.2024

उपस्थित: वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर एवं वकील अप्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद दौरान बहस

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 11, 12, 13, 14, 83, 91, 352, 372, 373, 376, 377, 379, 469/1, 493/1, 524/12 व 12 के मिन नम्बर कुल रकबा 102 बीघा 03 बीस्वा स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से 1/3–1/3 हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थीगणों संख्या 01 से 15 की खातेदारी आराजी है जिसके खसरा संख्या 15 रकबा 21 बीघा 06 बीस्वा है, प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिये खसरा संख्या 15 में से ही आते जाते है किन्तु खसरा संख्या 15 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करतें हैं तथा वर्तमान में पक्का निर्माण कर रहें हैं , प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 15 के अतिरिक्त कोई भी लघुत्तम, निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 11, 12, 13, 14, 83, 91, 352, 372, 373, 376, 377, 379, 469/1, 493/1, 524/12 व 12 के मिन नम्बर कुल रकबा 102 बीघा 03 बीस्वा में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 15 में से 30 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल. सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 से 15 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 15 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.10.2019 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। दिनांक 02.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 से 15 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकी इससे जवाबकर्ता की भूमि के दो टुकडे हो जाते हैं, प्रार्थीगण जवाबकर्तागण की भूमि खसरा संख्या 15 की देवपुरी की सरहद से आते हैं जिसमें जवाबकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं हुई किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा के आधार पर यदि रास्ता दर्ज किया गया तो जवाबकर्तागण के खेत के दो टुकडे हो जायेगें जो कि विधिमान्य नहीं है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

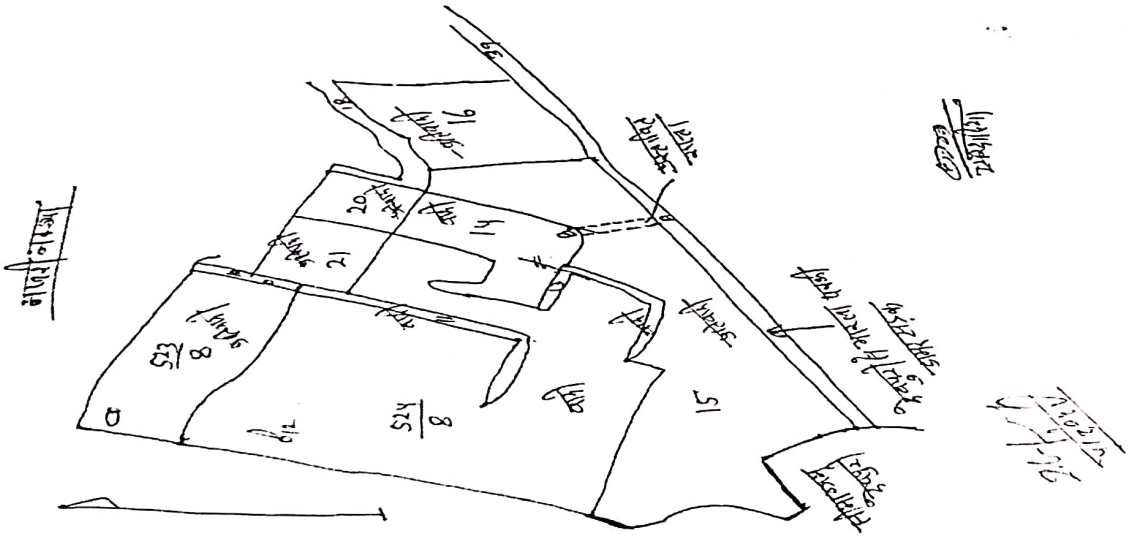

दिनांक 22.02.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन आराजी खसरा संख्या 11, 524/12, 13, 14 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 15 में से होकर निकटतम रास्ता बिन्दु ए से बी तक है , जिसका अधिग्रहित रकबा 0.0256 हैक्टेयर है तथा निर्वापित राशि 13981 रूपये बनती है, यदि नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण के भूमि के दो टुकडे हो जातें है। जिसका नजरी मानचित्र भू.अ. नि. दादिया एवं हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार हैः–

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्वापित राशि जमा करवाने को तैयार है श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि नजरी नक्शा के अनुसार [illegible] विभक्त हो जाती है, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उपरोक्त विवेचन के अनुसार [illegible] आदेश दिये जातें हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:03 IST
Reason: SelfAttested

–ः आदेश ः–

तहसीलदार अरांई द्वारा पेश मौका रिपोर्ट से ताई[illegible] है कि मौके पर खसरा संख्या 15 से आवागामन हेतु रास्ता खुला हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगणों की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

अप्रार्थीगणों को कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। साथ ही देवपुरी की सरहद के सहारे सहारे वर्तमान में प्रार्थीगणों की अपनी आराजी में जाने के रास्ता विद्यमान है। प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज.का.अधि. की धारा 251क के अनुसार "यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो"

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0का0अधि0 1955 को खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:03 IST
Reason: SelfAttested